न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार करवा
2. प्रकरण संख्या : 02/2024
3. उनवान : सरकार जरिये श्री नन्द किशोर कुमावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

श्री मूलचन्द जाट पुत्र श्री नारायण लाल जाट (सचिव एवं मालिक) मैसर्स–पलसानियों की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड
पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर–303338
निवासी– पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ।

–अभियुक्त

4. निर्णय दिनांक : 09/07/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मोहन लाल बरबड अप्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक श्री नन्द किशोर कुमावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने आवेदन पत्र जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 02 (ii)/51 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.05.2023 को शाम 6.00 पी.एम पर मैसर्स पलसानियों की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर पर पहुँचे। वहां पर श्री मूलचन्द जाट पुत्र श्री नारायण लाल जाट उपस्थित थे। श्री मूलचन्द जाट को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मूलचन्द जाट ने स्वयं को अपनी फर्म का सचिव एवं मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री मूलचन्द जाट से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा, जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पलसानियों की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर पर दूध डेयरी का निरीक्षण करने पर एक स्टील की टंकी में लगभग 50 लीटर गाय का दूध

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

(Cow Milk) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 लीटर Cow Milk (Loose) खरीदकर उसकी कीमत 120/– रुपये विक्रेता श्री मूलचन्द जाट को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेश कुमार नागर एवं रुडाराम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फॉर्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मूलचन्द जाट ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री मूलचन्द जाट को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर Cow Milk (Loose) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चौड़े मुंह की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 लीटर Cow Milk (Loose) को प्रत्येक बोतल मे बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूदें डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN-3186 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN-3186 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी व सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/417 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/2151/एक्ट/2023/2142 दिनाक 08.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 18/09/2023 को प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/772 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षी अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि श्री मूलचन्द जाट मैसर्स पलसानियों की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर द्वारा सब–स्टेण्डर्ड Cow Milk (Loose) का विक्रय/निर्माण करके

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम मूलचंद जाट

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल बरवड ने वकालतनामा पेश किया।

अभियुक्त ने दिनांक 02.07.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी/विक्रेता प्रकरण में लगाये गये आरोप अपनी स्वेच्छा से स्वीकारने एवं लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.05.2023 को शाम 6.00 पी.एम पर दौराने निरीक्षण मैसर्स पलसानियों की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर पर मौके पर मूलचन्द जाट उपस्थित मिले। मूलचन्द जाट को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर मूलचन्द जाट ने स्वयं को अपनी फर्म का सचिव एवं मालिक होना बताया। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एक स्टील की टंकी में लगभग 50 लीटर गाय का दूध (Cow Milk) आम जनता को विक्रय हेत रखा हुआ था, जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 लीटर Cow Milk (Loose) खरीदकर उसकी कीमत 120/– रुपये विक्रेता मूलचन्द जाट को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। उक्त नमूने को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त पेपर स्लिप नं. AN-3186 नियमानुसार खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 08.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। चूंकि अभियुक्त मूलचन्द जाट द्वारा सब–स्टेण्डर्ड Cow Milk (Loose) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate · JAIPUR

अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.07.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/विक्रेता ने प्रकरण में लगाये गये आरोप अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किये। प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने व उक्त प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का निवेदन किया।

हमने आवेदन पत्र एवं अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। इसके अतिरिक्त खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं. L.S./2151/Act/2023/2142 दिनांक 08.06.2023 के अनुसार "The sample of **"Cow Milk"** bearing Code No. and Sr. No.

अतिरिक्त कलक्टर
(…) जयपुर

AN-3186 is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards of Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011." जिससे सुस्पष्ट है कि मैसर्स पलसानियों की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड पलसानियों की ढाणी, भोजपुरा कलां, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर से विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड Cow Milk (Loose) का विक्रय करने हेतु विक्रेता जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्त मूलचन्द जाट द्वारा सब–स्टेण्डर्ड Cow Milk (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त मूलचन्द जाट पर 5000/– रुपये (राशि अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय),जयपुर